न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर.के. जायसवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :– 20/2019 (RCMS No. :-2019/00038)

उनवानी प्रकरण :–

1. देवेन्द्र पुत्र अमर सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम सिकरौदा उप तहसील कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर ।
2. गजेन्द्र पुत्र पुत्र अमर सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम सिकरौदा उप तहसील कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर ।
3. रविन्द्र पुत्र अमर सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम सिकरौदा उप तहसील कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर ——————————अपीलान्टस्।

बनाम

1. नायव तहसीलदार कंचनपुर उप तहसील कंचनुपर तहसील बाडी जिला धौलपुर—————————————————— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 4.2.2019 नायव तहसीलदार कंचनुपर प्र.सं.74/19 उनवानी राज0 सरकार बनाम देवेन्द्र वगैरा अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–14.11.2019

निर्णय

अपीलान्टस् द्वारा यह अपील नायव तहसीलदार कंचनपुर उप तहसील कंचनपुर के निर्णय दिनांक 4.2.2019 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्टस् को आराजी खसरा नम्बर 599 वाके ग्राम सिकरौदा उप तहसील कंचनपुर तहसील बाडी में 1 बीघा 10 विस्वा पर अतिकमी मानकर लगान की 50 गुना शास्ती यानि 338/–रूपये कायम की जाकर अपीलान्टस् को बेदखल करने का आदेश पारित किया है, जबकि आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस् को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाला वाला तामील कराकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व किसी प्रकार कोई जॉच पडताल नहीं की तथा यह भी जानकारी नहीं की कि विवादित भूमि की मौके पर क्या स्थिति है। समस्त कार्यवाही

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

अनौपचारिक रूप से अपीलान्टस को नुकसान पहुँचाने की नीयत से की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व किसी प्रकार कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, समस्त कार्यवाही अपीलान्टस् की बैक पर मनमाना राठौरी रवैया अख्त्यार कर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत मौके की स्थिति से अवगत न होकर महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी नहीं देखा गया है कि मौके पर विवादित आराजी पर अपीलान्टस् की समरसेबिल लगी हुई है, जिससे समस्त ग्राम वासियों की पीने के पानी की तथा आराजी काश्त की सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अगर उपरोक्त आराजी से पानी की व्यवस्था को बाधित किया जाता है तो पूरे गॉव में पीने के पानी का संकट गहरा जायेगा और अपीलान्टस् व पूरे गॉव वालो को गॉव छोडने के लिए मजबूर होना पडेगा। अपीलान्टस् को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 17.5.2019 को हल्का पटवारी द्वारा जाहिर करने पर कि उपरोक्त आराजी से अपीलान्टस् को बेदखल करने का आदेश दिनांक 4.2.2019 को हो चुका है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद है। फिर भी धारा 5 म्याद अधिनियम का शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.2.2019 निरस्त किया जावे तथा विवादित आराजी अपीलान्टस् के नाम नियमन कराई जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी ।

अपीलान्टस् ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 4.2.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्टस् को विवादित आराजी खसरा पर अतिकमी मानकर लगान की 50 गुना शास्ती यानि 338/–रूपये कायम की जाकर बेदखल करने का आदेश पारित किया है आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस् को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया । समस्त कार्यवाही अपीलान्टस् की बैक पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत मौके की स्थिति से अवगत न होकर महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी नहीं देखा गया है कि मौके पर विवादित आराजी पर अपीलान्टस् की समरसेबिल लगी हुई है। जिससे समस्त ग्राम वासियों की पीने के पानी की तथा आराजी काश्त की

(आर0 के0 जाखड़वाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही । अपीलान्टस् को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 17.5.2019 को हल्का पटवारी द्वारा हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद है। फिर भी धारा 5 म्याद अधिनियम का शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.2.2019 निरस्त किया जावे तथा विवादित आराजी अपीलान्टस् के नाम नियमन कराई जावे।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टस् विवादित आराजी पर पश्चात्‌वर्ती अतिकमी है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से होती है। अपीलान्टस् ने विवादित आराजी पर समरसेविल लगा रखी है। इस तथ्य को अपीलान्टस् ने अपनी अपील में स्वीकार किया है। अतिकमित आराजी चारागाह भूमि हैं जो ग्रामवासियों के पशुओं के चरने के उपयोग में आती है। यदि चारागाह भूमि से अपीलान्टस् का अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पशुओं के चरने की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अपीलान्टस् द्वारा अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलान्टस् विवादित आराजी को अपने पक्ष में नियमन कराना चाहता है। नियमन कार्यवाही हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है। अपीलान्टस् नियमन कार्यवाही हेतु पृथक से सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। अपीलान्टस् ने अवैध रूप से सरकारी चारागाह भूमि पर समरसेविल लगा रखा है। अतः अपील अपीलान्टस् खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 4.2.2019 यथावत रखा जावे ।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया । यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलान्टस् विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी हैं । अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है सिद्ध नहीं होता क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्टस् पर विधिवत रूप से व्यक्तिगत हुई थी अपीलान्टस् बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जो ग्रामवासियों के पशुओं के चरने के उपयोग में आती है। यदि अपीलान्टस् का अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो अन्य व्यक्ति भी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने का साहस करेंगें, जिससे पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। अपीलान्टस् द्वारा अपील म्याद बाहर पेश की गई है । अपीलान्टस् को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी 26.3.2019 को फसल नीलामी कार्यवाही के दौरान ही हो गई थी। फसल नीलामी बोली अपीलान्ट देवेन्द्र के पक्ष में अन्तिम रहीं । अपीलान्टस् ने अपनी अपील में इस न्यायालय से विवादित आराजी को नियमन कराये

(आर० के० जा...)
जिला कलक्टर, धौलपुर

जाने हेतु अनुतोष चाहा है। जबकि निमयन कार्यवाही हेतु न्यायालय सक्षम नहीं है। नियमन की कार्यवाही के लिए अपीलान्टस् स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस् खारिज किया जाना एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 4.2.2019 यथावत रखा जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्टस् खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 4.2.2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(राकेश कुमार जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर